भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 : 8बी / यू0पी0 / 06 / 34 / 2018 / एफ.सी. / 13 दिनॉक: 10.04.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/13881/2015

विषयः **कार्योत्तर स्वीकृति (Ex-post-facto) के अंतर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम उखलाना के खसरा सं0 1470 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0प्र0 का पत्रांक 2639 / 11–सी–FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांक 16.0.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ0प्र0 के पत्रांक 619 / 14–2–2017–800(56) / 2017, दिनांक 03.08.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रकरण को दिनांक 28.03.2023 को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक के समक्ष REC एजेण्डा 3.5 (यू0पी0) प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा प्रकरण को कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी के अभाव में आस्थगित (Defer) कर दिया गया था। अतः मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित आवश्यक सूचना / जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:–

1- The State Govt. needs to initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent user of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India. A report with full details of violation, authority responsible for violation etc. needs to be submitted by the State Governemnt.
2- The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of violation as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
5. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, सेक्टर–3, नोएडा।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु / आदेश पत्रावली।

10.04.2023

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)